

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-संस्कृत(स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.N O.	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	KAVITA VERMA	RJSM2011 32018993	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDERA (217911)	S.MADHOPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHIRNI (212809)	S.MADHOPUR	NO
2	BEENA MISHRA	RJSM2005 32001830	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHIRNI (212809)	S.MADHOPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDERA (217911)	S.MADHOPUR	YES

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

Rajasthan Education Department



Ga

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर.

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्थानान्तरण-पदस्थापन/संस्कृत/2022 दिनांक 01/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

Ba
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-भौतिक (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.N O.	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	RAJENDRA KUMAR GUPTA	RJKO199527004055	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMGAJMANDI KOTA (216823)	KOTA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NAYAPURA BAAG (216791)	KOTA	NO
2	TARUNA MAHAWAR	RJKO201127024827	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NAYAPURA BAAG (216791)	KOTA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMGAJMANDI KOTA (216823)	KOTA	YES

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

Rajasthan Education Department

Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-1/भौगक/स्थानान्तरण-पदस्थापन/भौतिक/2022 दिनांक - 01/11/22

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
 - विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
 - निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
 - निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
 - संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (युप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
 - स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
 - सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
 - अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
 - संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
 - संबंधित व्याख्याता।
 - रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	EMPLOYEE ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/ DA APPLICABLE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SARITA MATHUR	RJAL199202001999	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANNI KA BAR ALWAR RAJASTHAN (215736) TO SHAHEED TEKCHAND GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANOTH (216307) UNDER TRANSFER	ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL YASHWANT ALWAR (215738)	ALWAR	NO
2	SURESH KUMAR TANEJA	RJIL199821017471	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL YASHWANT ALWAR (215738)	ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RUNDH SIRAWAS (215684)	ALWAR	YES

- 1 संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

Rajasthan Education Department



Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

दिनांक - 01/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है **सत्यमेव जयते**

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 8 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 10 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 11 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण तत्काल अपडेट करावें।
- 12 संबंधित व्याख्याता।
- 13 रक्षित पत्रावली।

Ga

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)- जीव विज्ञान एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	MADHU KACHHAWA	RJSK199833 018286	SAHEED ASHOK KUMAR YADAV GSSS GOPALPURA DEVRI (218949) JAIPUR TO SHRIMATI NARBADA DEVI DANGAYACH GGSS BASSI JAIPUR (218758) UNDER TRANSFER	JAIPUR	SAHEED ASHOK KUMAR YADAV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPALPURA DEVRI (218949)	JAIPUR	NO
2	USHA AGARWAL	RJJP199718 010177	SAHEED ASHOK KUMAR YADAV GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPALPURA DEVRI (218949)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHI CHOWK AMBER (213090)	JAIPUR	YES

- 1 संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी प्रदूषण स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-14 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक रथगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन न करारते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवप्रस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।



Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-1/रजीग/स्थानान्तरण/पदस्थान/2022

दिनांक - 01/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 8 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 10 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 11 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- 12 संबंधित व्याख्याता।
- 13 रक्षित पत्रावली

(343)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर